संख्या-13/709/41-2014-61 यो0/2012

प्रेषक,

श्याम मोहन तिवारी,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0,
लखनऊ ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ:: दिनांक:: 25 मार्च, 2014**

विषय: राज्य सेक्टर के अन्तर्गत बौद्व पर्यटन स्थल कपिलवस्तु-कुशीनगर-श्रावस्ती में उच्च स्तरीय सुलभ प्रसाधन की योजना हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या-3452/6-1-1(बजट)/2013-14, दिनांक-07.03.2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. वित्तीय वर्ष 2012-13 में शासनादेश संख्या-2284/41-2012-61 यो0/2012, दिनांक-30.03.2013 द्वारा राज्य सेक्टर के अन्तर्गत बौद्व पर्यटन स्थल कपिलवस्तु-कुशीनगर-श्रावस्ती में उच्च स्तरीय सुलभ प्रसाधन की योजना हेतु कार्यदायी संस्था सुलभ इन्टरनेशनल सोशल सर्विस आर्गनाइजेशन द्वारा गठित आगणन के परीक्षणोपरान्त् आंकलित लागत रू0-116.96 लाख की धनराशि की स्वीकृत कर अवमुक्त की गयी थी। उपरोक्त सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन हेतु अवशेष धनराशि रू0-175.43 लाख (रूपये एक करोड़ पचहत्तर लाख तैंतालीस हजार मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग द्वारा स्वीकृत कर आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय नियमानुसार सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

6. कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की सूचना व उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

3- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखा शीर्षक-5452-आयोजनागत-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-19-पर्यटन एवं शिल्पकला का विकास-24-वृहत निर्माण कार्य मद की धनराशि से सलग्न विवरण के अनुसार पुनर्विनियोग द्वारा लेखा शीर्षक-5452- आयोजनागत-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-14-ऐतिहासिक/पौराणिक स्थलों पर पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का विकास-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-466-ई-7/दस-2014, दिनांक-25 मार्च, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

श्याम मोहन तिवारी
अनुसचिव

<u>संख्या-13/709 (1)/41-2014 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद (संलग्नक सहित)।
2. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ (संलग्नक सहित)।
3. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
6. सम्बन्धित उप निदेशक, पर्यटन कार्यालय, गोरखपुर।
7. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था-सुलभ इन्टरनेशनल सोशल सर्विस आर्गनाईजेशन, लखनऊ।
8. श्री राजा राम, वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
9. गार्ड फाइल।

http://shasanadesh.up.nic.in

आज्ञा से,

श्याम मोहन तिवारी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in